<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर</u>

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 272/2025
अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

<u>रूपाराम बनाम सुखाराम व अन्य</u>

प्रार्थी वकील – श्री ठाकरराम चौधरी
विप्रार्थीगण वकील – एकतरफा

–:: निर्णय ::– **दिनांक – 10.12.2025**

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत **मौजा रतासर में खसरा सं. 491/376, 538/203, 539/203, 540/191, 541/191 रकबा क्रमशः 4.3139, 1.7401, 3.1242, 1.8292, 0.3561 हैक्टयर पटवार क्षेत्र जैसार तहसील चौहटन** में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि **मौजा रतासर में खसरा सं. 491/376, 538/203, 539/203, 540/191, 541/191 रकबा क्रमशः 4.3139, 1.7401, 3.1242, 1.8292, 0.3561 हैक्टयर पटवार क्षेत्र जैसार तहसील चौहटन** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि दोनो पक्षो के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्याया[illegible] म[illegible] इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला[illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:12:41 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन